## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम0ई0-3 / 2018 / 748

लखनऊ:दिनांक 07 अप्रैल 2018

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु नीट पी0जी0-2018 की प्रथम चक की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या—9485(एम/एस)/2018 डा० विनोद कुमार गुप्ता व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.04.2018 जिसका सुसंगत अंश निम्नानुसार है:—

With the consent of learned counsels for the parties, following order is being passed:-

1. State Government shall issue a fresh list of all such persons who have worked with the state government as doctors, as aforesaid, for a period of 1,2 & 3 years and giving weightage of 10%,20% 30% respectively as per Regulation 9(4) of Regulations of 2004 of the Medical Council of India, as amended in the year 2012.

2. These persons who are given weightage of 10%,20% & 30%, will be placed in the merit list at appropriate place and a fresh list shall also be published on the web portal of the Director General Medical Education and Training, Lucknow.

3. Counselling, which is already held to the extent that the first person placed at highest in the merit list from the persons who are given weightage of 10%,20% & 30% will not be disturbed and thereafter, a fresh counselling will take place.

"मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में सभी अर्ह अभ्यर्थियों जिनके द्वारा पूर्व में विकल्प (Choice) Lock किया जा चुका है उन्हे पुनः विकल्प में संशोधन किये जाने की अनुमित प्रदान करते हुए उनके द्वारा दिये गये विकल्प को Unlock किया जा रहा है। सभी अर्ह अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि यदि वह आवश्यक समझे तो अपने विकल्प (Choice) को संशोधित करते हुए उसको पुनः Lock करना सुनिश्चित करे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विकल्प प्रस्तुत किया जाता है और उक्त को Lock नहीं किया जाता है तो कम्प्यूटर द्वारा Automaticly अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प को Lock कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी अपने पूर्व प्रस्तुत विकल्प में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं करना चाहता है तो उसे कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।"

महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण हेतु समय—समय पर वेबसाईट <u>https://upneet.gov.in & www.updgme.in</u> अवश्य

महानिदेशक